2023 | 273

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री शम्मी कुमार पुत्र श्री ढालूराम खत्री
निवासी ए / 404 मईशा रेजीडेन्सी
समा–सावली रोड, वेमाली
वडोदरा।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 65 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 10.11.2022 को जरिए डाक से प्रदूषण तथा बेनामी सम्पत्ति पर कार्यवाही करने हेतु निवेदन पत्र दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना एवं प्रदूषण पर रोकथाम करने एवं रिको अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का निवेदन पत्र दिनांक 02.03.2023 को दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना से सम्बन्धित कुल पांच बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 10.11.2022 को जरिए डाक से प्रदूषण तथा बेनामी सम्पत्ति पर कार्यवाही करने हेतु निवेदन पत्र दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना एवं प्रदूषण पर रोकथाम करने एवं रिको अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का निवेदन पत्र दिनांक 02.03.2023 को दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना से सम्बन्धित कुल पांच बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको आबूरोड एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको आबूरोड एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको आबूरोड एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner